शिक्षा विभाग की योजनाएं
SCHEMES OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION

(गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशासित)
(Administered through Non-Governmental Organisations)

सार-संग्रह
A DIGEST

NIEPA DC
D10760

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

शिक्षा विभाग
Department of Education

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Ministry of Human Resource Development

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
Shastri Bhavan, New Delhi

1995

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-10760
Date 26-07-2000.

प्रस्तावना

सरकार ने समाज के सभी वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए कई उपयुक्त वित्त पोषित कार्यक्रम आरंभ किए हैं । इनमें से कुछ योजनायें सीधे विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, कुछ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं तथा इनमें से कुछ स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित की जाने वाली सभी योजनाओं की विशिष्ट विशेषतायें विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है, योजनाओं के कार्यान्वियन की स्थिति कार्य बजट में दी गई है। इन दोनों दस्तावेजों की प्रतियां संसद के माननीय सदस्यों, प्रेस, संसाधन संगठनों शैक्षिक संस्थानों आदि को वितरित की गई हैं।

बाद में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि उन योजनाओं को पूरा करना जो मुख्यतः स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशासित होती हैं, सहभागिता की भावना को बढ़ाता है । इससे स्वैच्छिक एजेंसियों व सरकार के बीच मेलमिलाप को बढ़ावा मिलता है। यह उन योजनाओं का पता लगाने में आने वाली समस्याओं का निवारण करती है, जिनके अधीन एजेंसियों की परियोजनाओं को वित्तीय व अन्य सहायता प्राप्त होती हैं । अतः उन योजनाओं का संकलन करने का प्रयास किया गया है, जो कि डाइजेस्ट के रूप में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा चलाई जाती हैं ।

इस प्रकाशन का उद्देश्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं को विहंगम दृष्टि से देखना है । योजनाओं के विस्तृत ब्यौरे और वे प्रपत्र जिनमें प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं, स्कीम हेतु दस्तावेजों का संदर्भ लिया जाना चाहिए ।

आगे की जानकारी व योजनाओं की प्रतियों के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर लिखें :—

सचिव
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
"सी" खंड, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 ।

विषय-वस्तु

I.	**प्रारंभिक शिक्षा**	1
1.	अनौपचारिक शिक्षा योजना	1
II	**महिला समानता के लिए शिक्षा**	1
1.	महिला समाख्या के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना	1
III	**माध्यमिक शिक्षा**	2
1.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई० ई० डी० सी०)	2
2.	स्कूल शिक्षा का पर्यावरण अभिविन्यास	3
3.	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार	3
4.	शिक्षा में संस्कृति व मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता योजना	3
5.	स्कूलों में योग	4
6.	माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए भोजन व्यवस्था व छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना	4
7.	माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण तथा अवर माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना	5
IV	**विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा**	5
1.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थानों को अनुदान	5
V	**प्रौढ़ शिक्षा**	5
1.	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता योजना	5
2.	श्रमिक विद्यापीठ	6
VI	**भाषाओं का विकास**	7
1.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा व अन्य गैर-सरकारी संगठनों व हिन्दी में प्रकाशन सहित स्वैच्छिक एजेंसियों को हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता	6
2.	आधुनिक भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू व सिंधी को छोड़कर) में प्रकाशन व पुस्तकों की क्रय योजना	7
3.	भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति योजना	8
4.	संस्कृत प्रोन्नति योजना	8
5.	प्राचीन भाषाओं जैसे, अरबी, फारसी आदि की प्रोन्नति योजना	8
6.	मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना	9
VII	**पुस्तक प्रोन्नति**	9
1.	पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	9
VIII	**शैक्षिक आयोजना**	10
1.	शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि की योजना	10
2.	शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पवर्गों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम योजना	10

प्रारम्भिक शिक्षा

1. अनौपचारिक शिक्षा योजना (एन० एफ० ई०)

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के उन सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें, जो विभिन्न सामाजार्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षा पद्धति से दूर हैं तथा इसके साथ-साथ लड़कियों, कार्यरत बच्चों, स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों और ऐसे क्षेत्रों के बच्चों को, जहां स्कूल नहीं हैं उन्हें औपचारिक स्कूल पद्धति की तुलना में शिक्षा की वैकल्पिक नीति प्रदान कर सकें।

2. पात्रता

पंजीकृत स्वैच्छिक सोसाइटी, सार्वजनिक न्यास व 3 वर्षों से कार्यरत गैर लाभ प्राप्त करने वाले संगठन इसके पात्र हो सकते हैं।

3. सहायता

इनको चलाने के लिये 100% वित्तीय सहायता

(i) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

(ii) नवाचार व प्रयोगात्मक परियोजना

(iii) जिला संसाधन एकक

स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

—निर्देशक व पर्यवेक्षकों के वेतनों पर व्यय,

—परियोजना पर प्रबन्धन व्यय

—उपकरण व आकस्मिक

—अध्यापन अध्ययन सामग्री को तैयार करना तथा उसका निर्माण, तथा

—नवाचार/प्रयोगात्मक परियोजनाओं के अधीन सहायता में प्रशिक्षण विकास व नई एवं संगत अध्यापन–अध्ययन सामग्री तैयार करने व अन्य यथा अनुमोदित नवाचार दृष्टिकोणों की नई रूपात्मकतायें भी शामिल होंगी।

4. कार्य–क्षेत्र (कवरेज)

मुख्य रूप से केन्द्र बिंदु 10 शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, व पश्चिम बंगाल और शहरी गन्दी बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानी व आदिवासिय क्षेत्रों और अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में काम करने वाले बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्रों पर है।

महिला समानता के लिये शिक्षा

महिला समाख्या के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना

महिला समाख्या महिलाओं को अधिकार प्रदान किये जाने की परियोजना है जिसका लक्ष्य सेवा नहीं है अपितु महिलाओं में अपनी स्थिति के बारे में तथा महिलाओं की परम्परागत भूमिका के सम्बन्ध में समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। यह महिलाओं के लिये एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिससे वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर

सके और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सके जिसमें वे स्वयं के मार्गानुसार कार्य कर सकें। समानता प्राप्त करने के संघर्ष में शिक्षा की केन्द्रीयता महिला समाख्या का महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है।

उद्देश्य

(i) सरकारी संस्थाओं व स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करके आयोजना का एक प्रारूप तैयार करना ताकि लगातार बातचीत के माध्यम से गांवों में महिलाओं से मिला जा सके और तुरन्त परिणामों के लिये शैक्षिक सिद्धान्त गौगण नहीं है।

(ii) औपचारिक व अनौपचारिक स्कूल शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिये विद्यमान प्रयासों को संघटित करने के लिये क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाना तथा सघन पाठ्यक्रमों व व्यावसायिक शिक्षण द्वारा योग्यताओं की प्रोन्नति करना।

पात्रता

शैक्षिक संस्थान पंजीकृत सोसायटी, जन न्यास तथा गैर लाभकारी कम्पनियां जो महिला समाख्या के परियोजना जिलों के बाहर कार्यरत हैं वे इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिये पात्र होंगी।

अनुदान का उद्देश्य

निम्नलिखित कार्यों के लिये 100% सहायता प्रदान की जायेगी:—

(क) महिलाओं के अधिकारों व शिक्षा के लिये व अच्छी क्षेत्र परियोजनायें शुरू करन,

(ख) अध्ययन सामग्री, निर्देशात्मक/अध्ययन सहायता सामग्री व तकनीकी संसाधन विकास के अन्य पहलुओं का विकास करना,

(ग) प्रशिक्षण

(घ) प्रयोगात्मक/नवाचार कार्यक्रम आरम्भ करके लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा के लिये शैक्षिक सुविधाओं का सृजन करना,

(ङ) मूल्यांकन व अनुसन्धान,

(च) प्रयोगात्मक नवाचार परियोजनाओं, प्रकाशन, प्रलेखन आदि के दौरों सहित प्रयोगात्मक/नवाचार कार्यक्रमों व उनके अभिग्रहण के परिणामों के प्रसार के लिये कार्यकलाप करना,

माध्यमिक शिक्षा

1 विकलांग बच्चों के लिये समेकित शिक्षा

1. उद्देश्य

विकलांग बच्चों को इस उद्देश्य के साथ शिक्षा प्रदान करना कि वे सामान्य समुदाय में सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकें और उन्हें उनके सामान्य विकास के लिये तैयार करना ताकि वे जीवन का साहस व विश्वास से सामना कर सकें।

2. पात्रता

पंजीकृत स्वैच्छिक सोसायटी, जन न्यास व 3 वर्षों से कार्यरत गैर लाभकारी संगठन इसके पात्र हैं।

3. सहायता

आवश्यक सहायता, प्रोत्साहनों व विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से सामान्य स्कूलों, कम विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों/स्वैच्छिक संगठनों को 100% सहायता प्रदान की जाती है।

4. अनुदान का उद्देश्य

विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल प्रणाली में लाया जा सके।

2. स्कूल शिक्षा को पर्यावरणिक बनाना

1. उद्देश्य

बच्चों में पर्यावरणिक जागरूकता पैदा करना।

2. पात्रता

नये तरीकों से पर्यावरणिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। राज्य/संघ शासित राज्य सरकारें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद व गैर सरकारी संगठन इसके पात्र हैं।

3. सहायता

स्थानीय पर्यावरणिक परिस्थितियों वाले स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों के संघटन को प्रोन्नत करने के लक्ष्य के साथ प्रयोगात्मक व नवाचार कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये स्वच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है।

3. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

1. उद्देश्य

विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोन्नत बनाना।

2. पात्रता

शैक्षिक संस्थान, पंजीकृत समितियां, लोक न्यास।

3. अनुदान का उद्देश्य

विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाओं को शुरू करना।

4. शिक्षा में संस्कृति और नैतिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिये सहायता योजना

1. उद्देश्य

शिक्षा में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समाहित करना तथा औपचारिक शिक्षा प्रणाली और भारत की समुन्नत विभिन्न व भिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं के मध्य समन्वय करना। इस योजना का यह भी लक्ष्य है कि विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली में सांस्कृतिक व नैतिक शिक्षा निवेशों को सुदृढ़ बनाना और कला, शिल्प, संगीत तथा नृत्य शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण।

2. पात्रता

स्वैच्छिक संस्थाएं, लोक न्यास व गैर लाभकारी संस्थाएं।

2—647 Deptt. of Edu/95

5. स्कूलों में योग को प्रोत्साहन देने की योजना

1. उद्देश्य

योग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने व उद्देश्य को पूरा करने के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना ।

2. पात्रता

गैर लाभकारी योग संस्थान, पंजीकृत समितियां, न्यास जो कि तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से इस कार्य में संलग्न हैं वे ही इस योजना के पात्र हैं।

3. सहायता

450/—रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षु भोजन व आकस्मिक व्यय के लिये तथा 150/— रुपये प्रति माह आवास के लिये संस्थानों को प्रति पाठ्यक्रम 5000/— रु० प्रशिक्षण अनुदान।

पुस्तकालयों को उन्नत बनाने के लिये एक मुश्त अनुदान के रूप में 25,000/—— रुपये।

शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिये आवासों के निर्माण व विस्तार के लिये एक लाख रुपये तक की सहायता ।

4. अनुदान का उद्देश्य

योग में शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, योग के विभिन्न दृष्टिकोण से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल अनुसन्धान को उन्नत बनाने व मूलभूत संरचना का निर्माण करना इस अनुदान का उद्देश्य है।

6. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिये भोजन व छात्रावास सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना

1. उद्देश्य

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिये भोजन व छात्रावास सम्बन्धी सुविधाओं को सशक्त बनाना ।

2. पात्रता

पंजीकृत (कम से कम तीन वर्ष के लिये), स्वैच्छिक संस्थायें, समितियां, लोक न्यास व गैर-लाभकारी निकाय तीन वर्ष के अनुभव के साथ।

3. सहायता

वर्तमान हॉस्टल/छात्रावास जो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा केवल लड़कियों के लिये ही चलाये जा रहे हैं, उनमें माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रही लड़कियों के लिए बोर्डिंग सुविधायें प्रदान करने के लिये 100% सहायता।

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले, विशेषत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आधिक्य वाले क्षेत्र और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में स्थित लड़कियों के लिये छात्रावास,बोर्डिंग हाउस को सहायता प्रदान करने में वरीयता दी जायेगी।

7. माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण व अवर माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की योजना

1. उद्देश्य

शैक्षिक अवसरों में विविधता प्रदान करना जिससे कि स्वयं नियोजन को बढ़ावा मिल सके, कुशल कारीगरों की मांग व आपूर्ति के अन्तर को कम करना तथा वे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें एक विकल्प उपलब्ध कराना

कक्षा IX व कक्षा X के छात्रों को उपयोगी आसान शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान करना, उनमें व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुनने में सहायता प्रदान करना।

2. पात्रता

पंजीकृत स्वैच्छिक एजेंसियां/संस्थायें, गैर व्यावसायिक एजेंसियां जो 3 वर्ष से अस्तित्व में हैं।

3. सहायता

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी/प्रयोगात्मक कार्यक्रम शुरू करने के लिये पात्र स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

1. उच्च अध्ययन की अखिल भारतीय संस्थाओं को अनुदान

1. उद्देश्य

ऐसी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना जो विश्वविद्यालय तंत्र से परे हैं और नवाचारी स्वरूप के कार्यक्रमों में लगी हैं।

2. पात्रता

अखिल भारतीय स्तर के पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन/शिक्षक संस्थान वित्तीय सहायता पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थापित निरीक्षण समिति के आधार पर प्रदान की गई है।

3. सहायता

पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त में गठित की गई निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा

2. प्रौढ़ शिक्षा में स्वैछिक एजेंसियों को सहायता की योजना

1. उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में स्वैच्छिक एजेंसियों की व्यापक सहभागिता प्राप्त करना है।

2. पात्रता

ऐसी पंजीकृत स्वैच्छिक सोसाइटी, लोक न्यास जो 3 वर्षों से अस्तित्व में हैं, पात्र होंगे।

3. सहायता

100% वित्तीय सहायता

4. अनुदान का उद्देश्य

(क) जन शिक्षण निलयमों की स्थापना तथा अन्य उपयुक्त गतिविधियों के द्वारा पूर्ण परिभाषित क्षेत्रों में निरक्षरता का उन्मूलन तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व लेना।

(ख) कार्यात्मक साक्षरता अवयवों का विकासात्मक कार्यक्रम जैसे कि स्वास्थ्य रक्षा, महिलाओं का विकास, पर्यावरण संरक्षण, अनु० जाति/अनु० जन जाति के विकास, गरीबी, निवारण कार्यक्रमों इत्यादि का संचालन करना।

5. प्रमुख विशेषताएं

(i) **पूर्ण साक्षरता अभियान** (टी० एल० सी०)--इसका उद्देश्य मुख्यतया मूल साक्षरता में लगभग 200 घंटों का 6 महीनों में सीखने वालों का नामांकन करना है और यह मूलतः निर्देशित अध्ययन कार्यक्रम होगा।

(ii) उत्तर साक्षरता अभियान (पी० एल० सी०)--प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम उत्तर साक्षरता अवस्था के पश्चात् आरंभ होगा, जो लगभग दो वर्ष की अवधि का हो सकता है। इसमें 50 अतिरिक्त घंटों का 2-3 माह में पूर्ण होने वाला एक व्यवस्थित पूर्व साक्षरता कार्यक्रम सम्मिलित होगा जो निर्देशात्मक अध्ययन द्वारा आरंभ होगा तथा सीखने वालों को स्व-अध्ययन द्वारा स्वावलंबी बनायेगा।

(iii) स्व-निर्देशित सतत् शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली अनवरत शिक्षा है। इसके माध्यम से शिक्षु प्रारंभिक साक्षरता प्राप्त करने के पश्चात् भी अपनी शिक्षा जारी रखते हैं तथा शिक्षु अपने आर्थिक जीवन में सुधार करने के लिए अपनी शिक्षा का प्रयोग करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक विकास के लिए दक्षता विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार के कार्यक्रम जन शिक्षण निलयमों की स्थापना के माध्यम से कार्यान्वित किए जा सकते हैं ताकि सतत् आधार पर संस्थापन प्रबंध की व्यवस्था की जा सके।

2. प्रौढ़ शिक्षा में श्रमिक विद्यापीठ की योजना :

1. उद्देश्य

(क) कामगारों तथा उनके परिवारों को प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आमोद-प्रमोद तथा मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराकर उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर को समृद्ध करना,

(ख) कामगारों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली के बारे में उन्हें अधिकाधिक जानकारी देना तथा उनमें चेतना जागृत करना जिससे कि उन्हें पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आज की विकट परिस्थितियों में उनके अंदर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विकास की भावना बढ़ सके।

2. पात्रता

इस योजना के अंतर्गत वे पंजीकृत सोसाइटियां पात्र हैं जो कम से कम 3 वर्ष से अस्तित्व में हैं।

3. सहायता

इस योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. प्रमुख विशेषताएं

(क) कामगारों को परिवार तथा समाज के सदस्य के रूप में ठोस तथा कारगर भूमिका निभाने में सक्षम बनाना,

(ख) कामगारों को उनकी कार्यक्षमता तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी व्यावसायिक क्षमता तथा तकनीकी जानकारी में सुधार करना,

(ग) कामगारों को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से उनके लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना करना।

भाषाओं का विकास

1. **दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा तथा पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद सहित स्वैच्छिक संगठनों को हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता।**

1. **उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा हिन्दी के विकास में इससे जुड़े हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. **पात्रता**

वे पंजीकृत एजेंसियां जो कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में हैं।

3. **सहायता**

(i) स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को हिन्दी की प्रोन्नति के लिए अनुमोदित व्यय की 75% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) भवन निर्माण आदि के लिए 50,000 रु० या अनुमोदित व्यय का 60 प्रतिशत

(iii) हिन्दी में पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए अनुमोदित व्यय का 80 प्रतिशत

(iv) दुर्लभ पांडुलिपियों की विवरणात्मक सूची तैयार करने के लिए शत-प्रतिशत।

4. **अनुदान का प्रयोजन**

हिन्दी शिक्षण के लिए कक्षाओं का संचालन, हिन्दी आशुलिपि तथा टाइपलेखन पाठ्यक्रमों का आयोजन तथा पुस्तकालयों आदि का संचालन शिक्षक प्रशिक्षण, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, भवन निर्माण, शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा प्रकाशन परीक्षाओं पुरस्कारों तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान के आयोजन ।

2. आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा सिंधी को छोड़कर) की पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद की योजना

1. **उद्देश्य**

इसका उद्देश्य पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद के माध्यम से आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा सिंधी को छोड़कर) को बढ़ावा देना।

2. **पात्रता**

इसके अन्तर्गत वे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन, ट्रस्ट व्यक्ति, लेखक, अनुवादक, सभी पात्र हैं जो अपनी पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते हैं बशर्ते उन्हें उनका कापीराइट का अधिकार प्राप्त हो (इसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रकाशक सम्मिलित नहीं है)।

3. **सहायता**

इसके अंतर्गत प्रकाशन के लिए कुल अनुमोदित व्यय की 80 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है तथा दुर्लभ पांडुलिपियों की विवरण सूची तैयार करने के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

4. **अनुदान का प्रयोजन**

आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू व सिंधी के अलावा) की प्रोन्नति।

5. **विशेषताएं**

भारतीय भाषा की प्रोन्नति संबंधी प्रकाशन उक्त स्कीम के अंतर्गत विचारार्थ पात्र होंगे अर्थात् विश्वकोश जैसी संदर्भ पुस्तकें, संग्रह (चयनिका) जैसी ज्ञानवधक पुस्तकें, विवरणात्मक सूची-पत्र आदि मौलिक लेखन (कहानी, नाटक व काव्य तथा पी-एच० डी० शोध निबंध आदि को छोड़कर)।

नोट:- अंग्रेजी के संबंध में यह स्कीम अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद, नामक समवत् विश्वविद्यालय द्वारा तथा (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू व सिंधी को छोड़कर) अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के संबंध में इस स्कीम को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

3. **भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति की स्कीम**

1. **उद्देश्य**

भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू व सिंधी के अलावा) को प्रोन्नत करना ।

2. **पात्रता**

वे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन/सोसायटियां /धर्मस्व निधि संस्थान/न्यास, जो कि कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हैं।

3. **सहायता**

अनुमोदित व्यय के 50% से 75% के चुनिंदा मदों के लिए तदर्थ अनावर्ती सहायता ।

4. **अनुदान का प्रयोजन**

प्रतिष्ठित संगठनों को अनुरक्षण सहायता प्रदान करना, सम्मेलन व अल्पकालिक अध्ययन आयोजित/संचालित करना, भारतीय भाषाओं (हिन्दी, उर्दू. संस्कृत व सिंधी के अलावा) भारतीय भाषाओं में पत्रिकाओं को प्रकाशित करना तथा उन भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना ।

नोट : इस स्कीम को अब भारतीय भाषाओं के संबंध में विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा तथा अंग्रेजी भाषा के संबंध में केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रशासित किया जा रहा है ।

4. **संस्कृत की प्रोन्नति सम्बन्धी स्कीम**

1. **उद्देश्य**

नई संस्थाओं, पाठशालाओं की स्थापना करके, संस्कृत के शिक्षण की कक्षाएं, चला कर, संस्कृत पुस्तकालय संचालित व सुदृढ़ आदि करके तथा संस्कृत की समृद्धि, संचरण व विकास में सहायक/अनुकूल पाये गये किसी अन्य कार्यकलाप द्वारा संस्कृत को लोकप्रिय बनाना ।

2. **पात्रता**

क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/व्यक्ति पात्र हैं।

3. **सहायता**

स्वैच्छिक संगठनों को कुल व्यय की 75 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

नोट : इस समय, इस स्कीम को शिक्षा विभाग के स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

5. **अरबी व फारसी सहित प्राचीन भाषाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की स्कीम**

1. **उद्देश्य**

प्राचीन भाषाओं, मुख्यतः अरबी व फारसी की प्रोन्नति और विकास।

2. **पात्रता**

अरबी और फारसी (संस्कृत को छोड़कर) सहित प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन और व्यक्ति।

3. अनुदान का प्रयोजन

नई प्राचीन भाषा संस्थाओं की स्थापना करना, प्राचीन भाषाओं के शिक्षण के लिये कक्षाएं लगाना, प्राचीन भाषाओं के व्याख्यान व वाद-विवाद का आयोजन करना, द्विभाषी शब्द कोश तैयार करना आदि।

4. सहायता

इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को योजना के कार्यान्वयन में निहित कुल व्यय के 75 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना

1. उद्देश्य

मदरसों और मकतबों जैसी पारम्परिक संस्थाओं को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययनों, हिन्दी और अंग्रेजी को अगनी पाठ्यचर्या में लागू करने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये प्रोत्साहन देना ।

2. पात्रता

ऐसे स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/न्यास जो प्रासंगिक केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिनियमों अथवा वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत हैं और जो तीन वर्ष से अस्तित्व में हैं।

3. सहायता

वेतन और विनिर्दिष्ट शिक्षण/अध्ययन सामग्री के लिये शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता।

4. अनुदान का प्रयोजन

विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययनों तथा भाषा के योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, बुक बैंक की स्थापना में सहायता और इन विषयों के लिये मदरसों में पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण, विदेशी किटों, गणित किटों, अनिवार्य उपकरणों आदि का प्रावधान।

नोट : चूंकि यह योजना राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है इसलिये यह अनुदान ऐसे राज्यों को दिया जाता है जो इसे एन० जी० ओ० इत्यादि को संवितरित करते हैं।

पुस्तक प्रोन्नति

1. पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों के लिए सहायता की योजना

1. उद्देश्य

लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों से संबंधित सेमिनारों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं/वार्षिक दीक्षांत समारोहों का आयोजन करने के लिये ।

2. पात्रता

लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन और पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों में लगे अन्य संगठन।

3. सहायता

कुल अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत तक अनुदान।

4. अनुदान का प्रयोजन

लेखकों/प्रकाशकों/मुद्रकों/पुस्तक विक्रेताओं के सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, वार्षिक दीक्षांत समारोहों सम्मेलनों के आयोजन और पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलापों से सम्बद्ध अनुसन्धान/सर्वेक्षण का आयोजन।

शैक्षिक आयोजना

1. शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु अध्ययन/सेमिनार/मूल्यांकन इत्यादि की स्कीम

1. उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और प्रबन्धन को सीधे प्रभावित करने वाले सेमिनार, मूल्यांकन अध्ययन और परामर्शी समनुदेशक संचालित करना तथा कार्य प्रणाली को कारगर बनाने के लिये सर्वोत्तम विकल्पों और मॉडलों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना।

2. पात्रता

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान और नव परिवर्तनों में संलग्न पंजीकृत कार्यों में विख्यात सक्रिय समूहों सहित सामाजिक स्वच्छिक संगठन और गैर-सरकारी एजेंसियां।

3. सहायता

प्रति परियोजना 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

4. अनुदान का उद्देश्य

कार्य-प्रणाली को कारगर बनाने, वीडियो फिल्में इत्यादि तैयार करने के लिये सरकार की सर्वोत्तम विकल्पों और मॉडलों के सम्बन्ध में सलाह देने के उद्देश्य से सेमिनार प्रायोजित करना, प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययन संचालित करना परामर्शी समनुदेशक तैयार करना।

2. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम संबंधी स्कीम

1. उद्देश्य

शैक्षिक रूप से पिछड़े अधिक अल्पसंख्यकों वाले क्षेत्रों में, जहां प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिये पर्याप्त प्रावधान नहीं है, बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी अवस्थापन और सुविधाएं उपलब्ध कराना।

2. पात्रता

तीन वर्ष से अस्तित्व में आये पंजीकृत संगठन सोसायटियां/न्यास।

3. सहायता

यथानुमोदित अनुमानों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं के लिये शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता।

4. अनुदान का उद्देश्य

(i) जहां कहीं आवश्यकता महसूस की जाए और विद्यालय मानचित्रण की प्रक्रिया के आधार पर व्यवहार्यता स्थापित हो जाये वहां नये प्राथमिक/अपर प्राथमिक विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।

(ii) प्राथमिक/अपर प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे और भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(iii) लड़कियों के लिये बहु-संकाय आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना, जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाये जा सकें।

PREFACE

Government has initiated a nu ber of appropriately funded programmes for educational development of all sections of society. Some of these schemes are implemented directly by the Department; some are implemented through the State Governments and quite a good many through voluntary/non-Governmental organizations. Salient features of all schemes administered by the Department of Education are given in the Annual Report of the Department; status of implementation of the schemes is given in the Performance Budget. Copies of both these documents are circulated to Hon'ble Members of Parliament, the press, the resource organizations, academic institutions etc.

Of late, a need has been felt that a compilation of the schemes which are mainly administered through voluntary agencies/non-Governmental organizations would further the spirit of partnership and foster greater understanding between voluntary agencies and Government. This will obviate difficulties which agencies might be facing in identifying the schemes under which their projects can obtain financial and other assistance. An attempt has, therefore, been made to bring out a compilation of the schemes which are administered through voluntary agencies as a digest.

The objective of this publication is to give a birds' eye-view of the different schemes administered by the Department of Education. For details of the schemes and the proformae in which proposals are to be furnished, the scheme documents may please be referred to

For further details and copies of the Schemes, kindly write at the following address: —

The Secretary,
Department of Education
Ministry of Human Resource Development
"C" Wing, Shastri Bhawan
New Delhi-110 001.

3—647 Deptt, of Edu/95

CONTENTS

Page No.

I. ELEMENTARY EDUCATION

1. Non-Formal Education Scheme 1

II. EDUCATION FOR WOMENS' EQUALITY 1

1. Scheme of Assistance to Voluntary Agencies under Mahila Samakhya 1

III. SECONDARY EDUCATION

1. Integrated Education for Disabled Children (IEDC) 2
2. Environmental orientation to School Education 3
3. Improvement of Science Education in Schools 3
4. Scheme of Assistance for Strengthening Culture and Values in Education. 3
5. Introduction of Yoga in Schools 4
6. Scheme for Strengthening of Boarding and Hostel facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools. 4
7. Vocationalisation of Secondary Education and Scheme of Pre-Vocational Education at Lower Secondary Stage. 5

IV. UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION

1. Grant to All India Institutions of Higher Learning 5

V. ADULT EDUCATION

1. Scheme of Assistance to Voluntary Agencies for Adult Education Programmes 5
2. Shramik Vidyapeeths 6

VI. DEVELOPMENT OF LANGUAGES

1. Financial Assistance for promotion and propagation of Hindi to Voluntary Organisations including Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and other NGOs including Publications in Hindi. 7
2. Scheme of Publication and Purchase of Books in Modern Indian Languages and in English (other than Hindi, Sanskrit, Urdu and Sindhi). . . 7
3. Scheme of Promotion of Indian Languages 8
4. Scheme of Promotion of Sanskrit 8
5. Scheme of Promotion of Classical Languages like Arabic, Persian, etc., 9
6. Scheme of Modernisation of Madrasa Education 9

VII. BOOK PROMOTION

1. Book Promotion Activities and Financial Assistance to Voluntary Organisations. 9

VIII. EDUCATIONAL PLANNING

1. Scheme of Studies, Seminars, Evaluation, etc. for the Implementation of Education Policy. 10 10

2. Scheme of Area Intensive Programme for Educationally Backward Minorities. 10

ELEMENTARY EDUCATION

1. Non-Formal Education(NFE) Scheme

1. *Objectives*

To provide financial assistance to voluntary agencies for taking up projects to provide education to children in the age group of 6-14 who remain outside the formal system of education owing to various socio-economic constraints and also to provide an alternative strategy of education comparable to the formal school systems, to girls, working children, school dropouts and children from habitations without schools.

2. *Eligibility*

Registered voluntary societies, Public Trusts and Non-profit making organisations with 3 years standing are eligible.

3. *Assistance*

100% financial assistance for running:

(i) non-formal education centres.

(ii) innovative and experimental project.

(iii) district resource units

The assistance to VAs would cover

—expenditure on salaries of instructors and supervisors;

—management expenditure on the project;

—equipment and contingencies;

—preparation and production of teaching-learning materials; and

—under innovative/experimental projects, the assistance would also cover new modalities for training, development, and preparation of new and relevant teaching-learning material, and other innovative approaches as may be approved.

4. *Coverage*

The focus is mainly on the 10 Educationally Backward states viz. Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, J&K, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal and also urban slums, hilly, desert and tribal areas and areas with concentration of working children in other States/UTs as well.

EDUCATION FOR WOMENS' EQUALITY

1. Scheme of Assistance to Voluntary Agencies under Mahila Samakhya

Mahila Samakhya is a women's empowerment project which does not aim at service delivery but seeks to bring about a change in women's perception about themselves and that of society in regard to women's traditional roles. It endeavors to create an environment for women

to seek knowledge and information in order to make informed choices and create circumstances in which women can learn at their own pace and rhythm. The centrality of education in the struggle to achieve equality is an important focus of Mahila Samakhya.

1. *Objective*

(i) To evolve a modality of planning involving government institutions and voluntary agencies reaching out to the women in villages in a continuous dialogue so that the educative principle is not subordinated to the desire for immediate results.

(ii) To adopt an area intensive approach to integrate the existing efforts to provide formal and non-formal schooling, adult education upgradation of educational qualifications through condensed courses and vocational training.

2. *Eligibility*

Educational institutions, registered societies, public trusts and non-profit making companies which are working outside the Project Districts of Mahila Samakhya would be eligible for assistance under the Scheme.

3. *Purpose of Grants*

100% assistance for :—

(a) taking up well-designed field projects for women's empowerment and education;

(b) development of learning material, instructional/learning aids, and other aspects of technical resource development;

(c) training;

(d) creation of educational facilities for girls and womens' education by taking up experimental/innovative programmes;

(e) evaluation and research;

(f) activities for dissemination of the outcome of experimental/innovative programmes and their adoption, including visits to experimental innovative projects, publications, documentation, etc. ;

SECONDARY EDUCATION

1. Integrated Education for Disabled Children (IEDC)

1. *Objectives*

To provide education to the handicapped children with the objective of integrating them with the general community as equal partners to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence.

2. *Eligibility*

Registered voluntary societies, Public Trusts and non-profit making organisations with 3 years standing are eligible.

3. *Assistance*

100% assistance is provided to the State Governments/Union Territories/voluntary organisations for the education of the children suffering from mild handicaps in common schools with the help of necessary aids, incentives and specially trained teachers.

4. *Purpose of Grants*

Handicapped children are sought to be integrated in the normal school system.

2. Environmental Orientation to School Education

1. *Objectives*

To create environmental awareness among children.

2. *Eligibility*

State/UT Governments, National Council of Educational Research and Training (NCERT), and Non-governmental Organisations (NGOs), imparting environmental education through innovative methods.

3. *Assistance*

Voluntary agencies are provided assistance for conducting experimental and innovative programmes aimed at promoting integration of educational programmes in Schools with local environmental conditions.

3. Improvement of Science Education in Schools

1. *Objectives*

To improve the quality of Science Education and promote scientific temper.

2. *Eligibility*

Educational institutions, registered societies, public trusts.

3. Purpose of Grants

For undertaking innovative projects in the field of science education.

4. Scheme of Assistance for Strengthening Culture and Values in Education

1. *Objectives*

Spelling out the cultural perspective in Education and to bridge the schism between the formal system of education and India's rich and varied cultural traditions. The Scheme also aims at strengthening cultural and value education inputs in the school and non-formal education system, and the in-service training of art, craft, music and dance teachers.

2. *Eligibility*

Voluntary organisations, public trusts and non-profit making organisations.

5. Scheme for Promotion of Yoga in Schools

1. *Objectives*

To train teachers in Yoga and to build infrastructural facilities for the purpose.

2. *Eligibility*

Non-profit making Yoga institutions, registered societies, Trusts, which have been functioning for a period of not less than 3 years are eligible.

3. *Assistance*

—Rs. 450/- p.m. per trainee for boarding and incidentals and Rs. 150/- p.m. for lodging.

—training grant of Rupees 5000/- per course to the institutions.

—Rs. 25,000/- as a one time grant for upgrading the library.

—Assistance upto Rs. 5·00 lakhs for construction/expansion of hostels for teacher trainees.

4. *Purpose of Grants*

To train teachers in Yoga, to promote basic research and/or for teacher training programmes in various aspects of yoga and to build up the infrastructure necessary for this purpose.

6. Scheme for Strengthening of Boarding and Hostel facilities for Girl Students of Secondary and Higher Secondary Schools

1. *Objectives*

To strengthen boarding and hostel facilities for girl students of secondary and higher secondary schools.

2. *Eligibility*

Registered (for at least 3 years) voluntary organisations, societies, Public Trust and non-profit making bodies.

3. *Assistance*

100% assistance for providing boarding facilities for girl students studying in secondary/higher secondary stages in the existing hostels/boarding houses being maintained exclusively for girls by the voluntary organisations.

Preference in providing assistance will be given to the girls' hostels/boarding houses located in educationally backward districts, particularly those predominantly inhabited by SCs/STs and educationally backward communities.

7. Vocationalisation of Secondary Education and Scheme of Pre-Vocational Education at Lower Secondary Stage

1. *Objectives*

To provide diversification of educational opportunities so as to enhance individual employability, to reduce the mismatch between the demand and supply of skilled manpower and providing an alternative for those pursuing higher education.

To impart training in simple marketable skills to the students of Classes IX and X, to develop vocational interests and to facilitate the students in making a choice of vocational courses at the higher secondary level.

2. *Eligibility*

Registered voluntary agencies/societies, non-profit making agencies which have been in existence for 3 years.

3. *Assistance*

Assistance is also provided to the eligible voluntary organisations for taking up innovative/experimental programmes in the field of vocational education.

UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION

1. Grant to all India Institutions of Higher Learning

1. *Objectives*

To provide assistance to institutions which are outside the University system and engaged in programmes of innovative character.

2. *Eligibility*

Voluntary organisations/educational institutions of All India character which are Registered.

3. *Assistance*

The financial assistance is provided on the basis of the Report of the Visiting Committee which is setup at the end of five year plan.

ADULT EDUCATION

1. Scheme of Assistance to Voluntary Agencies in Adult Education :

1. *Objectives*

The main objective of the scheme is to secure extensive involvement of voluntary agencies in National Literacy Mission.

2. *Eligibility*

Registered voluntary societies, public trusts and non-profit making organisations which have been in existence for 3 years are eligible.

3. *Assistance*

100 % financial assistance.

4. *Purpose of Grant*

(a) Taking responsibility in well-defined areas for eradication of illiteracy and running of post-literacy and continuing education programmes, through establishment of Jana Shikshan Nilayams (JSNs) and other appropriate activities;

(b) Organisation of functional literacy component in developmental programmes such as health care, women's development, environmental conservation, SC/ST development, poverty alleviation programmes, etc;

5. *Salient Features*

The projects to be implemented for eradication of illiteracy would include : —

(i) Total Literacy Campaign (TLC)—These would primarily aim at providing basic literacy to enrolled learners in about 200 hours spread-over about 6 months and will basically be a guided-learning programme.

(ii) Post-Literacy Campaign (PLC)—Basic literacy programmes would be followed by a post-literacy phase, which may be approximately for a period of two years. This would include a systematic post-literacy programme for about 50 additional hours spread-over 2 to 3 months which will start with guided-learning and will culminate into self-learning by making the learners self-reliant.

(iii) Self-directed continuing education in the perspective of lifelong learning through provision of facilities to enable the learners to continue their learning beyond elementary literacy and to create scope for application of their learning for improvement of their living conditions. This will also include skill development programmes for personal, social and occupational development. Such programmes may be implemented by establishment of Jana Shikshan Nilayams (JSNs) so as to provide an institutionalised arrangement on a continuing basis.

2. **Scheme of Shramik Vidyapeeth's in Adult Education**

Objectives

(a) To enrich the personal life of workers and their families by providing opportunities of adult education physical culture and recreation ;

(b) To widen the range of workers' knowledge and understanding of the social, economic and political systems in order to create in him critical awareness about the environment and his own predicament for better national integration and development.

2. *Eligibility*

Registered societies which have been in existence atleast for 3 years.

3. *Assistance*

100% financial assistance.

4. *Special Features*

(a) To enable the workers to play a more effective role as a member of the family and society.

(b) To improve occupational skills and technical knowledge of workers for raising their efficiency and increasing productive ability;

(c) To organise programmes of vocational and technical training with a view to facilitating horizontal/vertical mobility.

VI DEVELOPMENT OF LANGUAGES

1. Financial Assistance for Promotion of Hindi to Voluntary Organisations including Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha including Publications and purchase of books.

1. *Objectives*

To provide financial assistance to voluntary organisations, who are engaged in the promotion of Hindi specially in the Non-Hindi speaking states.

2. *Eligibility*

Registered voluntary agencies which are in existence atleast for the last three years.

3. *Assistance*

(i) 75% of approved expenditure to Voluntary Hindi Organisations for promotion of Hindi.

(ii) Rs. 50,000 or 60% of approved expenditure for constructing of buildings etc.

(iii) 80% of approved expenditure for publication of manuscripts in Hindi.

(iv) 100% for descriptive catalogues of rare manuscripts.

4. *Purpose of Grants*

To run classes for teaching of Hindi, courses for Hindi shorthand and typewriting and running libraries, etc. Training of teachers, publication of Hindi books/journals construction of building, preparation and publication of teaching material conducting examinations, prizes etc.

2. Scheme of Publication and Purchase of Books in Modern Indian Languages and in English (other than Hindi, Sanskrit, Urdu and Sindhi).

1. *Objectives*

Promotion of Modern Indian Languages and English (other than Hindi, Sanskrit, Urdu and Sindhi) through publication and purchase of books.

2. *Eligibility*

Registered voluntary organisations/trusts, individuals, authors, translators or those who intend to publish the books holding if the copyright thereof (excluding commercial publishers).

3. *Assistance*

80% of the total approved expenditure for the publication; and 100% for descriptive catalogue of rare manuscripts.

4. *Purpose of Grants*

Promotion of Modern Indian Languages and English (other than Hindi, Sanskrit, Urdu and Sindhi).

5. *Special Features*

Publications which are conducive to the promotion of an Indian Languages, shall qualify for consideration under the scheme viz., books of references like encyclopaedias, books of knowledge like anthologies descriptive catalogue, etc., original writing (excluding fiction, drama and poetry, Ph.d thesis, etc.)

Note :— This scheme for English is now being administered by the CIEFL Hyderabad, a deemed University under the Department of Education, and for other Modern Indian Languages (excluding Hindi, Sanskrit, Urdu and Sindhi) by Central Institute of Indian Languages, Mysore.

3. Scheme of Promotion of Indian Languages

1. *Objectives*

To promote Indian languages (other than Hindi, Sanskrit, Urdu and Sindhi).

2. *Eligibility*

Voluntary Organisations/Societies/Charitable Endowments/Trusts, which are registered and in existence for atleast three years.

3. *Assistance*

Adhoc non-recurring assistance for selected items ranging from 50% to 75% of approved expenditure.

4. *Purpose of Grants*

To provide maintenance support to reputed organisations, to hold conferences, shorterm studies, to bring out periodicals in Indian languages (other than Hindi, Urdu, Sanskrit and Sindhi) and teaching in those languages.

Note:— This Scheme is now being administered by the CIIL, Mysore, a subordinate Office of the Department in regard to Indian languages and by the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad in regard to English language.

4. Scheme for Promotion of Sanskrit

1. *Objectives*

To popularise Sanskrit by setting up new institutions, pathashalas, running Sanskrit teaching classes, running and strengthening Sanskrit libraries, etc., and any other acti-

vity which may be found conducive to the enrichment, propagation and development of Sanskrit.

2. *Eligibility*

Voluntary organisations/institutions/individuals engaged in the field are eligible.

3. *Assistance*

Financial Assistance upto 75% of the total expenditure is provided to the voluntary organisations by the Central Government.

Note : The scheme is now being administered through Rashtriya Sanskrit Sansthan an autonomous body under the Department.

5. **Scheme of Assistance to Voluntary Organisations working in the field of Classical Languages including Arabic and Persian.**

1. *Objectives*

To promote and develop classical languages, mainly Arabic and Persian.

2. *Eligibility*

Voluntary organisations, individuals, who are working in the field of study of classical languages including Arabic and Persian (excluding Sanskrit).

3. *Purpose of Grants*

To set up new classical language institutions, to hold classes for teaching classical languages, organise lectures and debates in classical languages, to prepare bilingual dictionaries, etc.,

4. *Assistance*

Financial assistance upto 75% of the total expenditure involved in implementing the scheme is provided to voluntary organisations under this scheme.

Note : The scheme is now being administered by National Council for Promotion of Urdu, an autonomous body under the Department.

6. **Scheme of Modernisation of Madrasa Education**

1. *Objectives*

To encourage traditional institutions like Madrasas and Maktabs by giving financial assistance to introduce Science, Mathematics, Social Studies, Hindi and English in their curriculum.

2. *Eligibility*

Voluntary organisations/societies/trusts, which are registered under the relevant Central or a State Govt. Acts or Wakf Boards and which have been in existence for three years.

3. *Assistance*

100% financial assistance for salary and specified teaching/learning material.

4. *Purpose of Grants*

To appoint qualified teachers of Science, Mathematics, Social Studies and Languages, to assist in establishing book banks and to strengthen libraries in Madrasas for these subjects, to provide Science kits, Mathematics kits, essential equipments, etc.

Note : The Scheme is implemented by the State Govts. as a Central Scheme. Therefore grant is given to states who is further disburse it to N.G.Os etc.

BOOK PROMOTION

1. Scheme of Assistance for Book Promotional Activities

1. *Objectives*

For organising Seminars/Training Courses/ Workshops/ Annual Conventions related to the Book Promotional Activities by Writers, Publishers, and Booksellers.

2. *Eligibility*

Registered voluntary organisations of writers, publishers and booksellers and others engaged in the book promotional activities,

3. *Assistance*

Grants upto 75% of the total approved expenditure.

4. *Purpose of Grants*

To organise seminars, training courses, annual conventions/conferences of writers/ publishers/printers/booksellers, and to conduct research/survey connected with book promotional activities.

EDUCATIONAL PLANNING

1. Scheme of Studies Seminars, Evaluation, etc, for the Implementation of Educational Policy.

1. *Objectives*

To conduct seminars, evaluation studies, and consultancy assignments, which have a direct bearing on the management and implementation of National Policy on Education and to advise the Government on the best alternatives and models for making the system work.

2. *Eligibility*

Registered voluntary organisations and non-governmental agencies including social activist groups of repute engaged in research and innovations in the field of education.

3. *Assistance*

Financial Assistance to the extent of Rs. 1 Lakh per project.

4. *Purpose of Grants*

To sponsor seminars, conduct impact and evaluation studies, make consultancy assignments in order, to advise the government on the best alternatives and models for making the System Work, making of Video films, etc.

2. **Scheme of Area Intensive Programme for Educationally Backward Minorities.**

1. *Objectives*

To provide basic educational infra-structure and facilities in the areas of concentration of educationally backward miniorities which do not have adequate provision for elementary and secondary schools.

2. *Eligibility*

Registered voluntary organisations/societies/trusts which have been in existence for three years.

3. *Assistance*

100% financial assistance for approved projects as per approved estimates.

4. *Purpose of Grants*

(i) Establishment of new primary/upper primary schools, non-formal education centres where such a need is felt and viability established on the basis of a school mapping excercise.

(ii) Strengthening of educational infra-structure and physical facilities in the primary/upper primary schools.

(iii) Opening of multi-stream residential Higher Secondary Schools for girls where science, commerce, humanities and vocational courses are taught to the Educationally Backward Minorities.

NIEPA DC
D10760

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-10760
DOC, No ....
Date 26-07-2000

MGIPF—647 Edu/95—25-6-95—2500